न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–गुना R 1259-PBR/17

1– जमनावाई पुत्री वल्देवसिंह पत्नि देवेन्द्रसिंह निवासी ककवासा तह0 राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

2– गुडडीवाई पुत्री वल्देवसिंह निवासी ग्राम खेजड़ा गुरूजी द्वारा मामा सुन्दरलाल पुत्र दिमानसिंह निवासी ग्राम खेजड़ा गुरूजी तह0 राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 26.4.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– अवतारसिंह पुत्र मानसिंह

2– जयनारायण पुत्र मानसिंह

3– प्रताप सिंह पुत्र बल्देवसिंह
निवासीगण – पुरेनी हाल मुकाम रामनगर रोड, राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

26/4/17

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/2015–16/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1259–पीबीआर/17 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–9–2017	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक के निवेदन यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 6–9–2016 के विरूद्ध दायर मान्य की जाती है। धारा 32 के आवेदन द्वारा दिनांक 8–7–2016 को सिविल में स्वत्व का प्रकरण दायर करने हेतु तीन माह कार्यवाही स्थगन मांगा था । अब एक वर्ष निकल चुका है । आवेदक अधिवक्ता ने तर्को में स्वीकार किया कि वह सिविल में प्रकरण दायर कर चुके हैं । ऐसी स्थिति में अब तहसीलदार के इस बिन्दु पर पारित आदेश दिनांक 6–9–2016 के विरूद्ध दायर यह निगरानी निरर्थक होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	